(63)

संख्या – 640/V–2010–116(आ0)/2008

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
देहरादून।

आवास अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 13 अक्टूबर, 2011

विषय : वित्तीय वर्ष 2011–12 में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिष्ठान हेतु अनुदान संख्या–13 लेखाशीर्षक–2217 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में स्वीकृत धनराशि को अवमुक्त किये जाने एवं प्रथम अनुपूरक अनुदानों के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय आवास विभाग के शासनादेश संख्या–271/V–आ0–2011–11(आ0)/2011 दिनांक 07 अप्रैल, 2011 द्वारा वचनबद्ध एवं अवचनबद्ध मदों में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिष्ठान हेतु आयोजनेत्तर मद में अवचनबद्ध मदों में वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गयी थी।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय रू0 11,55,000 (ग्यारह लाख पचपन हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि निम्नानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं।

क्रम सं0	लेखाशीर्षक विवरण	धनराशि (हजार रूपये में)
1	06–अन्य भत्ते	595
2	09–विद्युत देय	100
3	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	80
4	13–टेलीफोन पर व्यय	30
5	15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	100
6	27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	100
7	45–अवकाश यात्रा व्यय	50
8	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	100
	कुल योग	1155

(रूपये ग्यारह लाख पचपन हजार मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 में अंकित कर प्रतिमाह दिलम्बतम 10 तारीख तक शासन में उपलब्ध करायी जाय।

3. प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यवर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा। मासिक व्यय तथा व्यय का विवरण बी0एम0–8 एवं बी0एम0–13 पर हर माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

4. व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों तथा मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार आवश्यक मदों पर ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

6. अन्य उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनमें यह स्वीकृत किया जा रहा है।

7. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वर्ष 2011–12 के आय व्यय के अनुदान संख्या–13 लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनेत्तर–001–निदेशन तथा प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–06–नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिष्ठान के अन्तर्गत उक्त उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–584/XXVII(1)/2011 दिनांक 07–10–2011 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या –640(1)/V–2010–146 (आ0)/2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
5– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 शैलेश कुमार पंत)
अनु सचिव